न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या:— 56/2020

1. गोपाललाल पिता मांगीलाल धाकड निवासी शोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ
2. श्यामलाल पिता नाराण धाकड निवासी शोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ
3. अशोककुमार पिता छोगालाल धाकड निवासी शोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ
4. मंगीलाल पिता हीरा धाकड निवासी शोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ
5. शिवलाल पिता हीरा धाकड निवासी शोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ
6. उंकार पिता शोचंद धाकड निवासी शोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ
7. उदयलाल पिता देवीलाल धाकड निवासी शोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ
8. रामलाल पिता प्यारचंद धाकड निवासी शोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ
9. नंदलाल पिता प्यारचंद्र धाकड निवासी शोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पिता देबीलाल धाकड निवासी शोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ
2. मांगीलाल पिता देबीलाल धाकड निवासी शोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ
3. लीलाबाई पत्नी शोभालाल धाकड निवासी शोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित :— श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री लालूराम कुमावत
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक ::— 17.03.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि ग्राम शोदर्शनपुरा में प्रार्थीगण परिवार के संयुक्त खातेदारी की आराजी संख्या 185 एवं 186 तक पहुँचने का कोई पुख्ता मार्ग नहीं है। विपक्षी संख्या 1 कैलाश की ग्राम धनोरा की आराजी संख्या 1169/867 से होकर ग्राम शोदर्शनपुरा की आराजी संख्या 192 व 193 की मेड पर यानि आराजी संख्या 192 की दक्षिणी व आराजी संख्या 193 की उत्तरी सीमा पर होकर 12 फिट चौडा स्थाई रास्ता की आवश्यकता है जिसे प्रार्थीगण स्थाई करा राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता अंकन कराना चाहते है।

यह कि आवेदक की आराजी संख्या 185 एवं 186 पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने का उक्त वर्णित के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, जिससे आराजी ग्राम शोदर्शनपुरा की आराजी संख्या 192 व 193 के बीच की मेड पर होकर ग्राम धनोरा की आराजी संख्या 1169/867 से होकर बेगूँ धनोरा रोड तक के लिए 12 फिट चौडे स्थाई रास्ते की आवश्यक ता है जो नियमानुसार दिलाया जावें प्रार्थीगण नियमानुसार सम्पूर्ण शुल्क जमा कराने को तैयार है। आवेदित रास्ता भूमि का नजरी नक्शा संलग्न है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे प्रार्थीगण से नियमुनसार राशि जमा ली जाकर रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकन एवं मौके पर खुलवाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया जाने पर प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री लालूराम कुमावत न्यायालय में हाजिर आये तथा विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। कलम संख्या 2 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें।

यह कि विशेष विवरण की कलम संख्या 1 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 185, 186 तक पहुंचने का स्थायी रास्ता है जिस पर प्रार्थगण वर्षो से आते जाते है एवं काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रार्थीगण जबरन विपक्षी सं0 1 कैलाशचन्द्र की ग्राम धनोरा की आराजी संख्या 1169/867 ग्राम सोदर्शनपुरा की आराजी संख्या 192, 193 की मेड पर यानि आराजी संख्या 192 की दक्षिणी एवं आराजी संख्या 193 की उत्तरी सीमा पर रास्ता कायम कराना चाहते है एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाना चाहते है जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण धनबल एवं जनबल के आधार पर विपक्षीगण की कृषि आराजी में जबरन रास्ता कायम करवा कर जबरन निकलने पर आमादा है जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि प्रार्थना पत्र की विशेष विवरण की कलम संख्या 1 मे वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीगण की आराजी संख्या 185, 186 पर आने जाने का कास्तकारी मार्ग पहले से ही स्थित है जिस पर वो आते जाते है और काश्त कर रहे हैं लेकिन विपक्षीगण की खातेदारी की कृषि आराजीयात में मनमाने तरीके से जबरन रास्ता निकालना चाहते है प्रार्थीगण ने मनगढन्त एवं गलत तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण की खातेदारी की कृषि आराजीयात में कोई रास्ता कायम कराने का कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान मे वर्षो से परम्परागत रास्ते को खुलाकर गलत तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण विपक्षीगण से रंजिश रखते है एवं आपस में बोल चाल भी नहीं है, प्रार्थीगण विपक्षीगण की कृषि आराजीयात को खराब करने की नियत से रास्ता कायम करवाना चाहते है इसलिए गलत तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र के विशेष विवरण की कलम संया 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण ने जो रास्ता भूमि का नजरी नक्शा संलग्न किया है जो गलत पेश किया है प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की कृषि आराजी पर आने जाने के रास्ते को अंकित नहीं किया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर प्रस्तुत जवाब की प्रति अधिवक्ता प्रार्थीगण को दी गई तथा इस प्रार्थना पत्र में रास्ते के सम्बन्ध मौका रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को जरिये पत्र कमांक/सरिश्ता/2022/384 दिनांक 30.08.2022 से पत्र लिखा गया जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ ने उनके पत्र कमांक/राजस्व 2025/07 दिनांक 07.01.2025 के साथ भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट एवं टी आर ए की रिपोर्ट तथा मौका पर्चा आदि रिपोर्ट संलग्न पत्र के प्रस्तुत करते हुए अपने पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम सोदर्शनपुरा की आराजी संख्या 192 रकाब 0.36 हैक्टर भूमि कैलाशचन्द्र पुत्र देवीलाल हिस्सा 1/2 मांगीलाल पितादेवीलाल हिस्सा 1/2 जाति धाकड आराजी संख्या 193 रकबा 0.490 हैक्टर भूमि श्रीमती लीलाबाई पत्नी शोभाला हिस्सा सम्पूर्ण सा0देह खातेदार दर्ज रिपोर्ट है। आराजी संख्या 1169/887 ग्राम धनोरा पटवार हल्का गोविन्दपुरा में होना जाहिर आया, प्रार्थी उक्त खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता चाहता है। जो अत्याधिक आवश्यक है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अन्य खातेदार की आराजी मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने हेतु वैकल्पिक मार्ग न्यूनतम दूरी पर स्थित है। यह कि रास्ता के खसरा संख्या 193 रकबा 0.490 हैक्टर मे से 206 मीटर लम्बा व 2 मीटर चौडा यानि 0.0412 हैक्टर तथा आराजी संख्या 192 रकबा 0.360 हैक्टर मे से रकबा 206 लम्बा तथा 2 मीटर चौडा यानि 0.412 हैक्टर भूमि कुल रकबा 0.0824 हैक्टर भूमि में रास्ता कायम करना चाहता है जिसे नक्शे में लालस्याही से दर्शाया जाकर संलग्न है।

यह कि नया रास्ता कायम करने हेतु प्रस्तावित आराजी के मुआवजा की गणना तहसील राजस्व लेखाकार से करवा कर संलग्न है। यह कि रास्ता बनाने अधीन अवधारित भूमि के मतूल्य के अतिरिक्त खडे वृक्ष फसल या संरचना को हटाने से कोई हानि या नुकसान नहीं होगा। प्रकरण में रास्ते की रिपोर्ट के साथ तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा जो मार्ग में आने वाली भूमि के लिए मुआवजा राशि की गणना करते हुए रिपोर्ट तैयार की है वह इस प्रकार से है :–

रिपोर्ट भू.नि.वृत बेगूँ अनुसार ग्राम सोदर्शनुपरा प0ह0 दौलतपुरा भू.अ.नि. वृत बेगू में आराजी संख्या 193 मे से 412 वर्गमीटर एवं आराजी संख्या 192 मे से 412 वर्गमीटर कुल 824 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित।

पंजीयन की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित भूमि का मूल्य डीएलसी – 815000/–

डीएलसी का दुगुना यानि 815000गुणा 2– 1630000/–

अ– आराली संख्या 193 के किससानो को देय मुआवजा राशि 1630000/10000गुणा 412 यानि 67156/–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	193	लीलाबाई पत्नी शोभालाल धाकड	सम्पूर्ण	67156/–

ब– आराजी संख्या 192के किसानो को दये मुआवजा राशि 1630000/10000गुणा 412– 67156/–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	192	कैलाशचन्द्र पुत्र देवीलाल धाकड	1/2	33578/–
2–	192	मांगीलाल पुत्र देवीलाल धाकड	1/2	33578/–
		कुल		67156/–

सहायक अभियंत्र
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौड़गढ़)

इस प्रकार उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा कुल राशि 1,34,312 रूपये विपक्षीगण को मुआवजा राशि के रूप दिये जाने हेतु जमा कराने पर प्रार्थी रास्ते के उपयोग हेतु विपक्षीगण की भूमि प्राप्त कर पाने के अधिकारी होते है।

उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्ती के पश्चात प्रार्थना पत्र 251 ए पर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए विपक्षीगण की कृषि आराजी मे से उनके खातेदारी की कृषि आराजी में पहुँच एवं आने जाने हेतु मार्ग चाहे जाने का निवेदन करते हुए मुआवजा राशि जमा कराने की सहमति दी है। जबकि अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस को अपने जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार करते हुए प्रार्थीगण के उनकी कृषि भूमि हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग का होना बताया है, तथा प्रार्थी द्वारा नाजायज परेशान किए जाने हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना बताते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमारे द्वारा बहस ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात सुनी गई बहस पर मनन किया एवं इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में प्राप्त रास्ते की रिपोर्ट का गहन अवलोकन किया जिसमें अंकित किया हुआ है कि इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अधिवकता विपक्षीगण द्वारा अन्य रास्ते से आने जाने का कथन अपनी बहस में किया है लेकिन उन्होने स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सी आराजी से होकर अन्य रास्ता का उपयोग प्रार्थी कर रहे है। यदि प्रार्थीगण को उनकी कृषि आराजीयात में पहुँच के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता जो निकटतम होता तो प्राप्त रिपोर्ट मे उसका अंकन किया जाता, लेकिन रिपोर्ट में अन्य रास्ता न होने का अंकन किया है। जिससे प्रार्थीगण को रिपोर्ट में दर्शाये गये मार्ग के उपयोग हेतु सार्वजनिक रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाना हम उचित समझते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है, प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज कृषि आराजी मौजा शोदर्शनपुरा प0ह0 दौलतपुरा की आराजी संख्या 185 रकबा 0.9300 हैक्टर एवं आराजी संख्या 186 रकबा 1.000 हैक्टर भूमि पर आने जाने के लिए विपक्षीगण की कृषि आराजी मौजा शोदर्शनपुरा प0ह0 दौलतपुरा की कृषि आराजी संख्या 193 मे से 412 वर्गमीटर एवं आराजी संख्या 192 मे से 412 वर्गमीटर कुल 824 वर्गमीटर भूमि रास्ते में दिये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी लीलाबाई पत्नी शोभालाल को उनकी आराजी संख्या 193 की भूमि रास्ते में दर्ज किये जाने के लिए मुआवजा राशि 67156/– एवं विपक्षीगण कैलाशचन्द्र पुत्र देवीलाल जाति धाकड को उनकी कृषि आराजी संख्या 192 मे उनका हिस्सा 1/2 की मुआवजा राशि 33578/– रूपये एवं विपक्षी मांगीलाल पुत्र देवीलाल धाकड को उनकी कृषि आराजी संख्या 192 मे से उनका हिस्सा 1/2 के लिए मुआवजा राशि 33578/– रूपये यानि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को दी जाने वाली कुल मुआवजा राशि 1,34,312 रूपये दिये जाने हेतु तहसील कार्यालय में जमा कराने पर विपक्षी की कृषि आराजी मौजा शोदर्शनपुरा की आराजी संख्या 193 रकबा 0.490 हैक्टर मे से 206 मीटर लम्बा व 2 मीटर चौडा यानि 0.0412 हैक्टर तथा आराजी संख्या 192 रकबा 0.360 हैक्टर मे से रकबा 206 मीटर लम्बा तथा 2 मीटर चौडा यानि 0.0412 हैक्टर भूमि कुल रकबा 0.0824 हैक्टर भूमि मे सार्वजनिक रास्ता कायम किया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते के लिए कुल राशि 1,34,312 रूपये जमा कराने पर उपरोक्त भूमि को सार्वजनिक रास्ते के उपयोग हेतु रास्व रेकार्ड में एव नक्शे में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बेगूँ को प्राप्त मुआवजा राशि का भुगतान उपरोक्त अंकित अनुसार किया जाना सुनिश्चत करते हुए पालना करें। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 17.03.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी सरेश)
(सहायक कलक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/166 दिनांक :– 1-04-25

प्रति प्रार्थना पत्र संख्या 56/2020 व अनवान गोपाललाल बनाम कैलाशचन्द्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0काश्त0अधि0 में हुए आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ